मैटीरियल सब्सडियरी पर नीति

1 उद्देश्य एवं कार्यक्षेत्र

"मैटीरियल सब्सडियरी" कंपनियों से संबंधित नीति, 1 अक्टूबर, 2014 से संशोधित और प्रभावी सूचीबद्ध करार की धारा 49 (वी) (डी) की आवश्यकताओं के अनुरूप तैयार की गई हैं।

इस नीति में प्रयुक्त सभी शब्दों एवं अभिव्यक्तियों का अर्थ, जब तक कि उनको इसके पश्चात परिभाषित न किया जाए, सूचीबद्ध करार के अंतर्गत क्रमश: उनको दिए गए अर्थ के अनुसार रहेगा एवं परिभाषा और व्याख्या के अभाव में कंपनी अधिनियम 2013 / सेबी अधिनियम और उसके अंतर्गत समय-समय पर, यथासंशोधित नियमों, अधिसूचनाओं एवं परिपत्र बनाए गए/जारी किए गए, के अनुसार होगा।

2 परिभाषाएं

(i) मैटीरियल सब्सडियरी

किसी भी सब्सडियरी को मैटीरियल तब माना जाएगा यदि :-

(a) पूर्व वित्तीय वर्ष के लेखा-परीक्षित वित्तीय विवरण (विवरणों) के अनुसार सब्सडियरी में पावर फ़ाइनेंस कॉर्पोरेशन (पी.एफ़.सी.) का निवेश पीएफ़सी की समेकित नेट वर्थ से 20 % अधिक रहता है ।

या

(b) पूर्व वित्तीय वर्ष के लेखा-परीक्षित वित्तीय विवरण (विवरणों) के अनुसार सब्सिडियरी ने पीएफ़सी की कुल समेकित आय का 20 % या उससे अधिक अर्जन किया हो।

ऐसी मैटीरियल सब्सडियरी भारतीय कंपनी अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत हो भी सकती है और नहीं भी एवं उन्हें भारत में शेयर बाजार में सूचीबद्ध किया जा सकता है और नहीं भी।

(ii) महत्वपूर्ण लेन-देन (ट्रांजेक्शन) या व्यवस्था

किसी भी लेन-देन या व्यवस्था को महत्वपूर्ण लेन-देन (ट्रांजेक्शन) या व्यवस्था तब समझा जाएगा, यदि वह पूर्व वित्तीय वर्ष के लेखा-परीक्षित वित्तीय विवरण (विवरणों) के अनुसार सब्सिडियरी के कुल राजस्व या कुल खर्चों या कुल परिसंपत्तियों या कुल देयताओं (जैसी भी स्थिति हो) से 10% अधिक हो या अधिक होने की संभावना हो ।

3. शासन रूपरेखा

(i) पीएफ़सी निम्नलिखित नहीं करेगा

(a) पीएफ़सी अपनी **मैटीरियल सब्सडियरी** में शेयरों का निपटान नहीं करेगा, जो इसके शेयर होल्डिंग (या तो इसके स्वयं के या अन्य सब्सडियरिओं के साथ) को 50 % से कम कर दे।

(b) पीएफ़सी अपनी आम बैठक में किसी विशेष संकल्प को पारित किए बिना किसी **मैटीरियल सब्सडियरी** से अपना नियंत्रण नहीं हटाएगा सिवाय ऐसे मामलों के जहां ऐसे डाइवेस्टमेंट कोर्ट/ न्यायाधिकरण द्वारा अनुमोदित व्यवस्था योजना के अंतर्गत किए गए हों।

और निम्नलिखित नहीं करेगा

(c) शेयर होल्डरों के विशेष संकल्प के माध्यम से पूर्व अनुमोदन लिए बिना वित्तीय वर्ष के दौरान समग्र आधार पर मैटीरियल सब्सडियरी की परिसंपत्तियों के 20 % से अधिक तक की परिसंपत्ति को न बेचेगा, न निपटाएगा एवं लीज पर भी नहीं देगा, जब तक कि बिक्री/ निपटान/ लीज, कोर्ट/न्यायाधिकरण के द्वारा विधिवत अनुमोदित व्यवस्था की स्कीम के अंतर्गत तैयार नहीं किए गए हों।

(ii) पीएफ़सी के निदेशक मंडल का कम से कम एक स्वतंत्र निदेशक मैटीरियल गैर-सूचीबद्ध इंडियन सब्सडियरी कंपनी के निदेशक मंडल में निदेशक होगा । इस खंड के उद्देश्य के लिए, शब्द **मैटीरियल गैर-सूचीबद्ध भारतीय सब्सडियरी** का अर्थ होगा गैर-सूचीबद्ध सब्सडियरी, जो भारत में बनी हो, ठीक पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में जिसका उत्पादन या नेट वर्थ पीएफ़सी और इसकी सहायक कंपनियों के क्रमशः समेकित उत्पादन या नेट वर्थ के 20 % से अधिक हो ।

(iii) पीएफ़सी की लेखा समिति वित्तीय विवरणों की भी समीक्षा करेगी, इसमें गैर-सूचीबद्ध सहायक कंपनियों द्वारा किए गया निवेश प्रमुख है।

(iv) गैर-सूचीबद्ध कंपनियों के निदेशक मंडल की बैठक का कार्यवृत पीएफ़सी के निदेशक मंडल की बैठक में प्रस्तुत किया जाएगा।

(v) जो **मैटीरियल सब्सडियरी** का जो भारत में किसी भी शेयर बाजार में सूचीबद्ध नहीं है, उसका प्रबंधन पीएफ़सी के निदेशक मंडल का ध्यान समय-समय पर ऐसी किसी भी सब्सडियरी कंपनी द्वारा किए गए महत्वपूर्ण लेन-देनों एवं व्यवस्थाओं के विवरणों की तरफ आकर्षित करेगा।

4 प्रकटन

इस नीति का प्रकटन कंपनी की वेबसाइट पर किया जाएगा एवं वार्षिक रिपोर्ट में नीति का एक वेबलिंक उपलब्ध कराया जाएगा ।

5 नीति समीक्षा :

किसी भी सांविधिक अधिनियम, नियम, विनियम इत्यादि में यदि कोई भी ऐसा परवर्ती बदलाव होता है, जो नीति में किसी भी प्रावधान को उनके साथ असंगत कर देता है, तब नीति के स्थान पर सांविधिक अधिनियम,नियम,विनियम इत्यादि के प्रावधान लागू होंगे।

विनियमों में बदलाव आने के कारण जब कभी नीति में परिवर्तन किए जाने हों या समिति द्वारा उचित समझा जाए तो लेखा समिति द्वारा इस नीति की समीक्षा की जाएगी। समिति की सिफ़ारिशों के फलस्वरूप नीति में किसी भी बदलाव या आशोधन को निदेशक मंडल के समक्ष अनुमोदन के लिए प्रस्तुत किया जाएगा।

****